बिहार विधान सभा सचिवालय

सार्वजनिक नीलामी की सूचना

बिहार विधान सभा सचिवालय में वर्षों से पड़े अनुपयोगी वस्तुओं / कागजातों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 21.07.2017 को 11.30 बजे पूर्वा० में बिहार विधान सभा मुख्य भवन के प्रथम तल स्थित वाचनालय कक्ष में होगी । नीलाम की जाने वाली अनुपयोगी वस्तुओं / कागजातों की विस्तृत सूची एवं इससे संबंधित शर्तें बिहार विधान सभा के बेवसाईट www.vidhansabha.bih.nic.in पर देखी जा सकती है ।

नीलाम की जाने वाली अनुपयोगी वस्तुओं / कागजातों का आधार मूल्य 7,00000/-(सात लाख रूपये) होगा । नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों / एजेंसियों को आधार मूल्य का 10% अर्थात् 70,000/-(सत्तर हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में दिनांक 20.07.2017 को 5.00 बजे अप० तक जमा करना होगा । बैंक ड्राफ्ट निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार विधान सभा के पदनाम से पटना में भुगतेय होगा । अधिकतम डाक बोलने वाले व्यक्ति / एजेंसी को अनुपयोगी वस्तुओं / कागजातों की नीलामी दी जायेगी । नीलामी में सफल व्यक्ति / एजेंसी को अधिकतम डाक मूल्य का 25% राशि उसी दिन सभा सचिवालय में जमा करना होगा । नीलामी के संबंध में कोई भी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में बिहार विधान सभा के अवधायक शाखा से प्राप्त की जा सकती है ।

अन्य शर्तें :- 1. नीलामी के पश्चात् दिनांक 26.07.2017 तक नीलाम की जाने वाली सभी वस्तुओं / कागजातों को बिहार विधान सभा परिसर से उठाव कर लेना पड़ेगा ।

2. अधिकतम डाक मूल्य बोलने वाले व्यक्ति / एजेंसी डाक मूल्य का 25% राशि सभा सचिवालय में जमा नहीं करते हैं अथवा समय सीमा के अंदर शेष 75% राशि जमा कर नीलाम की जाने वाली अनुपयोगी वस्तुओं / कागजातों का उठाव नहीं करते हैं तब वैसी स्थिति में दूसरे उच्चतर डाक बोलने वाले व्यक्ति / एजेंसी को नीलामी का कार्य दे दिया जायेगा।

3. सभा सचिवालय के पदाधिकारी / कर्मचारी डाक में भाग नहीं लेंगे ।

4. बिना कारण बताये इस नीलामी को रद्द करने का सर्वाधिकार सभा सचिवालय को होगा ।

दीनानाथ प्रसाद
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

11.7.17